भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **4301**

दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई टिकट की बुकिंग हेतु यूनीक आईडी

4301. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों हेतु हवाई टिकट करवाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसी यूनीक आईडी प्रदान करना अनिवार्य बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहल को आगे बढ़ाने से पूर्व हितधारकों से परामर्श किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग):: जी नहीं। विमान टिकट की बुकिंग के समय किसी प्रकार के पहचान पत्र (आईडी) की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, चेक-इन के समय पहचान पत्र (आईडी) की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नागर विमानन मंत्रालय द्वारा डिजीयात्रा योजना आरंभ की गई है, जिसमें भारतीय हवाईअड्डों में बहुल सम्पर्क बिंदुओं पर टिकट और पहचान पत्र (आईडी) के सत्यापन की आवश्यकता के बिना यात्रियों को सुगम और निर्बाध व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्बाध यात्रा अनुभव के लिए यात्रियों को इस कार्यक्रम हेतु स्वयं को पंजीकृत (इनरोल) कराना होगा। उनके टिकट की पहचान और विधिमान्यकरण बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा किया जाएगा। इस प्रणाली में कागज के प्रयोग को निरुत्साहित किया गया है और इस कार्यक्रम में मानवीय प्रक्रिया का विकल्प भी परिकलपित है। इस सुविधा में "आधार" के प्रयोग पर बल नहीं दिया गया है, तथापि पहचान साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के प्रयोग का विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्टेकधारकों के साथ परामर्श के पश्चात "ई-बोर्डिंग प्रक्रिया (डिजी यात्रा) का क्रियान्वयन" शीर्षक वाली नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड-3 – विमान परिवहन, श्रृंखला-एम, भाग-IV जारी की है। डिजी यात्रा योजना को दिसंबर , 2019 से चवरणबद्ध आधार पर आरंभ किये जाने का कार्यक्रम है। प्रथम चरण में, डिजी यात्रा के क्रियान्वयन हेतु कोलकाता, पूणे, विजयवाड़ा वाराणसी, हैदराबाद, बंगलुरु, कोचीन, मुंबई और दिल्ली को चुना गया है।

*****